असम सिलिमेनाइट लिमिटेड (रिफ्रैक्टरी संयंत्र का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 22)

[11 फरवरी, 1976]

असम सिलिमेनाइट लिमिटेड के रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

लोहा और इस्पात उद्योग की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिफ्रैक्टरियों के प्रदाय में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है ;

और उक्त प्रयोजन के लिए असम सिलिमेनाइट लिमिटेड को एक रिफ्रैक्टरी संयंत्र लगाने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई थी ;

और असम सिलिमेनाइट लिमिटेड ने उक्त अनुज्ञप्ति के अनुसरण में विदेश से मशीनरी आयात की और अपने रिफ्रैक्टरी संयंत्र के निर्माण का प्रथम प्रक्रम प्रारम्भ किया किन्तु वित्तीय और अन्य कठिनाइयों के कारण उक्त कम्पनी की परियोजना प्रथम प्रक्रम से आगे बढ़ सकी और पाइलट रिफ्रैक्टरी संयंत्र, जो उक्त कम्पनी द्वारा निर्मित किया गया था, बन्द कर दिया गया है ;

और लोहा और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक विशेष प्रकार की रिफ्रैक्टरियां, जिनमें हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरियां भी हैं, असम सिलिमेनाइट लिमिटेड के रिफ्रैक्टरी संयंत्र में विनिर्मित की जा सकती हैं और ऐसे विनिर्माण से देश ऐसी विशेष प्रकार की रिफ्रैक्टरियों का आयात धीरे-धीरे कम कर सकेगा ;

और असम सिलिमेनाइट लिमिटेड के रिफ्रैक्टरी संयंत्र को शीघ्र चालू कराने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त रिफ्रैक्टरी संयंत्र का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन सीमित अवधि के लिए अपने हाथ में ले लिया गया था ;

और लोहा और इस्पात उद्योग की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिफ्रैक्टरियों के प्रदाय में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है कि असम सिलिमेनाइट लिमिटेड के रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन कर लिया जाए ;

अत: भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम असम सिलिमेनाइट लिमिटेड (रिफ्रैक्टरी संयंत्र का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1976 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ;

(ख) "आयुक्त" से धारा 14 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "कम्पनी" से असम सिलिमेनाइट लिमिटेड अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय गोहाटी असम राज्य में है ;

(घ) "रिफ्रैक्टरी संयंत्र" से कम्पनी के स्वामित्वाधीन रिफ्रैक्टरी विनिर्माण संयंत्र अभिप्रेत है जो बिहार राज्य में रामगढ़ के पास स्थित है ;

(ङ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के सम्बन्ध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के संबंध में विभिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(च) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

रिफ्रैक्टरी संयंत्र का अर्जन

3. रिफ्रैक्टरी संयंत्र का केन्द्रीय सरकार में निहित होना—नियत दिन को रिफ्रैक्टरी संयंत्र इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अन्तरित हो जाएगा और कम्पनी के रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में उसका अधिकार, हक और हित पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगा ।

4. रिफ्रैक्टरी संयंत्र को सरकारी कम्पनी में निहित करने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई सरकारी कम्पनी ऐसे निबन्धनों और शर्तों का, जिन्हें वह सरकार अधिरोपित करे, अनुपालन करने के लिए रजामन्द है या उसने उनका अनुपालन कर दिया है तो वह लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि रिफ्रैक्टरी संयंत्र के सम्बन्ध में कम्पनी का अधिकार, हक और हित केन्द्रीय सरकार में निहित रहने के बजाय या तो निदेश के प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले या बाद की ऐसी तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की तारीख नहीं है), जिसे उस निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उस सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन रिफ्रैक्टरी संयंत्र के सरकारी कम्पनी में निहित होने का आदेश किया जाता है वहां रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से उस सरकारी कम्पनी के अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

(3) सरकारी कम्पनी, रिफ्रैक्टरी संयंत्र के प्रबन्ध और प्रशासन में ऐसे निदेशों के, यदि कोई हों, अनुसार कार्य करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त दिए जाएं ।

(4) सरकारी कम्पनी भी केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति के बारे में, जिससे रिफ्रैक्टरी संयंत्र का प्रबन्ध चलाया जाएगा या ऐसे प्रबन्ध के अनुक्रम में पैदा होने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में, निदेशों के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकेगी ।

5. निहित होने का साधारण प्रभाव— (1) यह समझा जाएगा कि रिफ्रैक्टरी संयंत्र के अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार, तथा जंगम और स्थावर सभी सम्पत्ति (जो नियत दिन से पहले कम्पनी द्वारा धारित कोई खनन पट्टा नहीं है), रोकड़-बाकी, हाथ की रोकड़, आरक्षित निधियां, विनिधान, बही ऋण तथा ऐसी सम्पत्ति में या उससे पैदा होने वाले सब अन्य अधिकार और हित, जो नियत दिन से ठीक पूर्व, चाहे भारत के अन्दर या बाहर, कम्पनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे, तथा उनसे संबंधित सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और किसी भी प्रकार की सब अन्य दस्तावेज हैं, और यह भी समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत धारा 8 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व और बाध्यताएं भी हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त समस्त सम्पत्ति, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हुई है, ऐसे निहित होने के आधार पर किसी भी न्यास, बाध्यता, बन्धक, भार, धारणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएगी और कोई कुर्की, व्यादेश अथवा डिक्री या किसी न्यायालय का आदेश, जो ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी प्रकार से निर्बन्धित करे या ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग के बारे में किसी रिसीवर को नियुक्त करे वापिस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(3) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो चुकी है, प्रत्येक बन्धकदार और ऐसी किसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार, या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इतने समय में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयुक्त को ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की इत्तिला देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार, या अन्य हित धारण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उस रकम में से, जो धारा 9 में ऐसी सम्पत्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट है, अपने अधिकारों और हितों के अनुसार, बन्धक धन या अन्य देय रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए दावा करने का हकदार होगा, किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो चुकी है ।

(5) यदि नियत दिन को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो धारा 8 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है, कम्पनी द्वारा संस्थित या उसके विरुद्ध किया गया कोई वाद, अपील या किसी भी अन्य प्रकार की कार्यवाही लम्बित हो तो जहां तक वह रिफ्रैक्टरी संयंत्र से संबंधित है उसका रिफ्रैक्टरी संयंत्र के अन्तरण के अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी, या किसी भी प्रकार उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी और प्रवर्तित की जा सकेगी ।

6. रिफ्रैक्टरी संयंत्र तथा उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा देने का कर्तव्य—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या अभिरक्षा में या नियंत्रण के अधीन रिफ्रैक्टरी संयंत्र या उसका कोई भाग या रिफ्रैक्टरी संयंत्र की भागरूप कोई मशीनरी, उपकरण या अन्य जंगम आस्ति नियत दिन के ठीक पहले है, यथास्थिति, रिफ्रैक्टरी संयंत्र या ऐसे भाग, मशीनरी या उपकरण या अन्य आस्ति का कब्जा तुरन्त केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को दे देगा जिसे केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में या नियंत्रण के अधीन रिफ्रैक्टरी संयंत्र से, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गया है, संबंधित कोई बहियां, दस्तावेज या अन्य कागजपत्र नियत दिन को हैं और जो कम्पनी के हैं या जो ऐसे होते यदि रिफ्रैक्टरी संयंत्र केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित न हुआ होता, उन बहियों, दस्तावेजों और कागजपत्रों का लेखा-जोखा केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को देने के लिए जिम्मेदार होगा और उन्हें केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी या ऐसे अन्य व्यक्ति को सौंप देगा जिसे केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(3) केन्द्रीय सरकार, धारा 3 के अधीन उसमें निहित रिफ्रैक्टरी संयंत्र का कब्जा प्राप्त करने के लिए सब आवश्यक कार्रवाइयां कर सकेगी या करा सकेगी ।

7. विशिष्टियां देने का कर्तव्य—कम्पनी इतनी अवधि के भीतर जितनी केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, उस सरकार को कम्पनी की नियत दिन को यथाविद्यमान उन समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों की, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित रिफ्रैक्टरी संयंत्र से सम्बद्ध हों, एक पूरी तालिका देगी और केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी इस प्रयोजन के लिए कम्पनी को सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगी ।

8. कतिपय पूर्व दायित्वों के लिए कम्पनी का दायी होना—(1) रिफ्रैक्टरी संयंत्र के सम्बध में कम्पनी का नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के बारे में प्रत्येक दायित्व, जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न हो, कम्पनी का दायित्व होगा और वह उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा और केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(2) निम्नलिखित के बारे में कोई दायित्व, अर्थात् :—

(क) ऐसी रकमें जिन्हें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने [जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है], रिफ्रैक्टरी संयंत्र का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिए जाने के पश्चात् कम्पनी को अग्रिम धन के रूप में दिया हो, और उन पर देय ब्याज,

(ख) रिफ्रैक्टरी संयंत्र का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिए जाने के पश्चात् किसी अवधि के बारे में रिफ्रैक्टरी संयंत्र के कर्मचारियों को मजदूरी, वेतन और अन्य देय-रकमें,

नियत दिन से केन्द्रीय सरकार का दायित्व हो जाएगा और उसका निर्वहन, जैसे और जब ऐसी रकम प्रतिसंदेय हो जाए या जैसे और जब ऐसी मजदूरी, वेतन या अन्य देय रकमें देय और संदेय हो जाएं वैसे और तब उस सरकार द्वारा या उस सरकार के लिए और उसकी ओर से सरकारी कम्पनी द्वारा किया जाएगा ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस धारा में या इस अधिनियम की किसी अन्य धारा में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय, कोई दायित्व जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न है और जो रिफ्रैक्टरी संयंत्र के सम्बन्ध में नियत दिन के पूर्व किसी अवधि के बारे में है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का, रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में नियत दिन के पश्चात् पारित किया गया कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश जो किसी ऐसे मामले से, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामला नहीं है और उस तारीख के पूर्व पैदा हुआ है, सम्बन्धित किसी विषय, दावे या विवाद के बारे में है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ग) नियत दिन के पूर्व कम्पनी द्वारा रिफ्रैक्टरी संयंत्र के सम्बन्ध में उस समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए उपगत कोई दायित्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

अध्याय 3

रकम का संदाय

9. रिफ्रैक्टरी संयंत्र के अन्तरण और निहित किए जाने के लिए दी जाने वाली रकम—(1) धारा 3 के अधीन रिफ्रैक्टरी संयंत्र के केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी को नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से एक करोड़, सात लाख, सत्रह हजार रुपए की रकम दी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन संदेय रकम पर, नियत दिन को प्रारम्भ होने वाली और केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को ऐसी रकम का संदाय किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में कम्पनी के ऐसे दायित्व, जो धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट दायित्वों से भिन्न हैं, कम्पनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम में से पूरे किए जाएंगे ।

10. अन्य रकम का संदाय—(1) धारा 9 में विनिर्दिष्ट रकमों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी को, उसके रिफ्रैक्टरी संयंत्र के प्रबन्ध से उसे वंचित किए जाने के लिए, 2 नवम्बर, 1972 से प्रारम्भ होने वाली और नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, प्रतिमास दो हजार, पांच सौ रुपए की दर से प्रगणित रकम भी नकद दी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम पर, नियत दिन को प्रारम्भ होने वाली और केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को ऐसी रकम का संदाय किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज नकद दिया जाएगा ।

अध्याय 4

रिफ्रैक्टरी संयंत्र का प्रबन्ध आदि

11. रिफ्रैक्टरी संयंत्र का प्रबन्ध आदि—इस अधिनियम के प्रारम्भ पर रिफ्रैक्टरी संयंत्र के कार्यों और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध,—

(क) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 के अधीन निदेश दिया गया है वहां ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी में निहित होगा, अथवा

(ख) जहां ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है वहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय में निहित होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए,

और तब, यथास्थिति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी सभी बातों को करने का हकदार होगा जिन्हें रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में करने के लिए कम्पनी प्राधिकृत है ।

अध्याय 5

रिफ्रैक्टरी संयंत्र के कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

12. कर्मचारियों के नियोजन का जारी रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी द्वारा नियोजित है, रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में नियोजित होने की दशा में नियत दिन से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस सरकारी कम्पनी का कर्मचारी हो जाएगा जिसमें वह रिफ्रैक्टरी संयंत्र निहित है और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन तथा उपदान तथा अन्य समान बातों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जिन पर वह उसे कम्पनी के अधीन धारण करता यदि रिफ्रैक्टरी संयंत्र केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित न हुआ होता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक, निबन्धन और नियोजन की शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी के किसी कर्मचारी की सेवाओं का केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरण ऐसे कर्मचारी को इस अधिनियम या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर के लिए हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(3) जहां किसी सेवा-संविदा के निबन्धनों के अधीन या अन्यथा कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं या जिसकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो गई हैं, बकाया वेतन या मजदूरी के लिए या न ली गई किसी छुट्टी लेखे किसी संदाय या अन्य ऐसे संदाय के लिए हकदार है जो उपदान या पेंशन के रूप में संदाय नहीं है वहां वह उस सीमा तक के सिवाय, जिस तक ऐसा दायित्व धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिया गया है, कम्पनी के विरुद्ध अपना दावा प्रवर्तित कर सकता है किन्तु केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध नहीं ।

13. भविष्य और अन्य निधियां—(1) जहां कम्पनी ने रिफ्रैक्टरी संयंत्र में नियोजित व्यक्तियों के हित के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण या अन्य निधि स्थापित की है वहां ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण या अन्य निधि में नियत दिन को जमा धनराशियों में से, जो ऐसे कर्मचारियों से सम्बद्ध हों, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो गई है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस सरकारी कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कम्पनी को अन्तरित हो जाने वाली धनराशि के संबंध में, यथास्थिति, उस सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

14. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) कम्पनी को संदेय रकम के संवितरण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को संदाय आयुक्त नियुक्त कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे ।

(2) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त की सहायता के लिए इतने अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और तब आयुक्त इस धारा के अधीन अपने द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग करने के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या ऐ से अधिक को भी प्राधिकृत कर सकेगा और विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विभिन्न व्यक्ति प्राधिकृत किए जा सकेंगे ।

(3) किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उन शक्तियों का प्रयोग वैसी ही रीति से और वैसे ही प्रभावपूर्ण रूप से कर सकेगा मानो वे उस व्यक्ति को सीधे इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त की गई हैं, न कि प्राधिकरण के तौर पर ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

15. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कम्पनी को संदाय करने के लिए, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त को धारा 9 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर नकद रकम देगी और आयुक्त को ऐसी रकमें भी देगी जो धारा 10 की उपधारा (1) और (2) के अधीन कम्पनी को संदेय हों ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के लोक लेखे में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोला जाएगा और आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक रकम उसके द्वारा भारत के लोक लेखे के उक्त निक्षेप खाते में निक्षिप्त की जाएगी और उसके पश्चात् उक्त निक्षेप खाता आयुक्त द्वारा चलाया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर लगने वाला ब्याज कम्पनी के फायदे के लिए होगा ।

16. भविष्य निधि, आदि के बकाया के संबंध में दावों की पूर्विकता—(1) आयुक्त को धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन जो रकम संदत्त की गई है उसमें से वह प्रथम बार उन सब राशियों को काट लेगा जो 1973 की जुलाई के प्रथम दिन, रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में कम्पनी के नियोजन में होने वाले व्यक्तियों को, निम्नलिखित के संबंध में देय बकाया रकमों के बराबर हों, अर्थात् :—

(क) ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्थापित भविष्य निधि, पेंशन निधि या कोई अन्य निधि,

(ख) मजदूरी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन काटी गई सभी राशियां ऐसे नियमों के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, आयुक्त द्वारा सुसंगत निधि में जमा की जाएंगी या उसके द्वारा उन व्यक्तियों को दी जाएंगी जिन्हें उक्त राशियां देय हैं और ऐसे जमा किए या दिए जाने पर उपर्युक्त देय बकाया रकमों के बारे में कम्पनी का दायित्व ऐसे जमा की गई या दी गई रकम तक उन्मोचित हो जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक कटौती को अन्य सभी ऋणों पर, चाहे वे प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत, पूर्विकता प्राप्त होगी ।

17. अन्य दावों के संबंध में पूर्विकता—(1) धारा 16 में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय कम्पनी से प्राप्त प्रत्येक प्रतिभूत ऋण को, अन्य सभी ऋणों पर पूर्विकता प्राप्त होगी और वह प्रतिभूत लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार दिया जाएगा :

परन्तु जहां प्रतिभूत ऋण विभिन्न लेनदारों को विभिन्न आस्तियों के आड्मान के कारण देय हैं वहां ऐसे ऋणों का ऐसे लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार पूर्ण रूप से प्रतिसंदाय किया जाएगा जब तक कि धारा 16 में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति करने के पश्चात् बची हुई रकम का अतिशेष उनकी पूर्ति के लिए अपर्याप्त न हो और ऐसी दशा में वे ऋण समान अनुपात में कम हो जाएंगे और तद्नुसार दिए जाएंगे ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित रकमों का संदाय अन्य सभी अप्रतिभूत ऋणों पर पूर्विकता देकर किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) नियत दिन से ठीक पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और राज्य विद्युत बोर्डों को रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में देय सभी राजस्व, कर, उपकर, रेट और कोई अन्य देय रकमें ;

(ख) रिफ्रैक्टरी संयंत्र से संबंधित कम्पनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या नि:शक्तता के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन प्रतिकर के संबंध में या प्रतिकर के लिए दायित्व के संबंध में देय सभी रकमें, उस दशा में सिवाय जिसमें बीमाकर्ताओं के साथ ऐसी संविदा के अधीन, जैसी उक्त अधिनियम की धारा 14 में वर्णित है, कम्पनी के अधिकार कर्मकार को अन्तरित और उसमें निहित किए जाने के योग्य हों ;

(ग) रिफ्रैक्टरी संयंत्र के कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित भविष्य निधि या अन्य निधि में जमा करने के लिए किसी कर्मचारी के वेतन या मजदूरी में से कम्पनी द्वारा काटी गई सभी राशियां जो ऐसी निधियों के खाते में निक्षिप्त न की गई हों ।

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऋण परस्पर समान होंगे और पूर्ण रूप से दिए जाएंगे जब तक कि धारा 16 और इस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति करने के पश्चात् बची हुई रकम का अतिशेष उनकी पूर्ति के लिए अपर्याप्त न हो, और ऐसी दशा में वे ऋण समान अनुपात में कम हो जाएंगे और तद्नुसार दिए जाएंगे ।

18. दावों का आयुक्त को किया जाना—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने में पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावे को ग्रहण कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

19. दावों का सबूत—(1) आयुक्त ऐसी कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिसके पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा अथवा आयुक्त द्वारा की गई कटौतियों या संवितरणों के फायदे से अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख की कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में और प्रादेशिक भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जिसे आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने दावों का सबूत विज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर आयुक्त के समक्ष फाइल करें ।

(3) ऐसा प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल होगा, आयुक्त द्वारा की गई कटौतियों या संवितरणों से अपवर्जित किया जाएगा ।

(4) आयुक्त ऐसे अन्वेषण के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक हो और कम्पनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् दावे को लिखित रूप में पूर्णत: या भागत: स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को अपने कृत्यों के निर्वहन से पैदा होने वाले सभी मामलों में अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अन्तर्गत वह स्थान या वे स्थान भी हैं जहां वह अपनी बैंठकें करेगा और इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ उसे निम्नलिखित विषयों के बारे में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई भी अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई भी दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, उस विनिश्चय के विरुद्ध आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर रिफ्रैक्टरी संयंत्र स्थित है :

परन्तु जहां कोई ऐसा व्यक्ति आयुक्त नियुक्त किया जाता है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वहां ऐसी अपील उस राज्य के उच्च न्यायालय में होगी जिसमें रिफ्रैक्टरी संयंत्र स्थित है और ऐसी अपील की सुनवाई और उसका निपटारा उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा ।

20. आयुक्त द्वारा दावेदारों को धन का संवितरण—जहां धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन पूर्विकता वाले प्रतिभूत लेनदारों और अप्रतिभूत लेनदारों के ऐसे दावों की, जो आयुक्त द्वारा स्वीकार किए गए हों, पूर्ति करने के पश्चात् अन्य अप्रतिभूत लेनदारों के दावों की, जो आयुक्त द्वारा स्वीकार किए गए हों, कुल रकम धारा 16 और धारा 17 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट दावों की पूर्ति के पश्चात् बची हुई रकम के अतिशेष से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अन्य अप्रतिभूत लेनदारों के स्वीकृत दावे परस्पर समान होंगे और पूर्ण रूप से दिए जाएंगे और यदि कोई अतिशेष हो तो, वह कम्पनी को दिया जाएगा किन्तु जहां ऐसी रकम ऐसे स्वीकृत दावों की कुल रकम की पूर्ण रूप से पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त है वहां ऐसे सभी दावे समान अनुपात में कम हो जाएंगे और तद्नुसार दिए जाएंगे ।

21. असंवितरित या अदावाकृत रकम का साधारण राजस्व खाते में निक्षिप्त किया जाना—आयुक्त को संदाय किया गया कोई धन, जो संवितरण करने के प्रथम दिन से तीन वर्ष की अवधि तक असंवितरित या अदावाकृत रह जाता है आयुक्त द्वारा केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अन्तरित किया जाएगा ; किन्तु इस प्रकार अन्तरित धन के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा उसके लिए दावा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकेगा और उसे ऐसे बरता जाएगा मानो ऐसा अन्तरण नहीं किया गया था और यदि दावे के संदाय के लिए कोई आदेश किया गया है तो उसे राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश माना जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

22. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति—

(क) रिफ्रैक्टरी संयंत्र की भागरूप किसी सम्पत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी से दोषपूर्वक विधारित रखेगा, या

(ख) रिफ्रैक्टरी संयंत्र की भागरूप किसी सम्पत्ति का कब्जा दोषपूर्वक अभिप्राप्त करेगा या उसे अपने पास रखेगा, या रिफ्रैक्टरी संयंत्र से संबंधित किसी दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, जानबूझकर विधारित रखेगा अथवा केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अथवा केन्द्रीय सरकार या उस सरकारी कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा, अथवा रिफ्रैक्टरी से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा-बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को या केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा, या

(ग) रिफ्रैक्टरी संयंत्र की भागरूप किसी सम्पत्ति को दोषपूर्णतया हटाएगा या नष्ट करेगा या इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा दावा करेगा जिसका मिथ्या या अत्यधिक त्रुटिपूर्ण होना वह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

23. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध का किया जाना रोकने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

24. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

25. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार के या उसके अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार के या उसके अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी के विरुद्ध होगी ।

26. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा अनुसमर्थित न होने पर संविदाओं का प्रभावी न रहना—(1) प्रत्येक संविदा, जो रिफ्रैक्टरी संयंत्र के संबंध में कम्पनी द्वारा किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई है और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी न रहेगी जब तक कि ऐसी संविदा उस अवधि की समाप्ति के पूर्व, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी द्वारा लिखित रूप में अनुसमर्थित नहीं कर दी जाती और ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी उसमें ऐसा परिवर्तन या उपान्तर कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु सरकारी कम्पनी संविदा में कोई परिवर्तन या उपान्तर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगी :

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप नहीं करेगी और किसी संविदा में कोई परिवर्तन या उपांतर नहीं करेगी जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या रिफ्रैक्टरी संयंत्र के हितों के लिए हानिकर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर, संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना और संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध किए बिना, नहीं करेगी ।

27. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग उन व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है, तब वह व्यक्ति जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

28. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिससे धारा 13 में निर्दिष्ट किसी भविष्य या अन्य निधि की धनराशियों का उपयोग किया जाएगा ;

(ख) कोई अन्य बात जो विहित की जानी अपेक्षित है या विहित की जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात्, वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

30. राज्य की नीति के संबंध में घोषणा—इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट तत्वों का प्रयोग सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "राज्य" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 12 में है ।

———